33

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 87–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.12.2015, 02.12.2015 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण क्रमांक 288/ए–68/2014–15

फर्म लक्ष्मी नगर कॉलोनाईजर द्वारा –
अमीत पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र जी विश्नोई
निवासी– महाराण प्रताप वार्ड गाडरबारा,
जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार गाडरबारा,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

2– म.प्र. शासन द्वारा एस.डी.ओ. महोदय,
गाडरबारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

3– श्रीमती तहसीलदार महोदय, गाडरबारा
तहसील कार्यालय गाडरबारा, जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री वी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 7.../4/2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 288/ए–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2015,02.12.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि मजरा गाडरबारा तहसील गाडरबारा जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि सर्वे नं. 488/1 का भूमि स्वामी है, जोकि रेलवे स्टेशन रोडा पर स्थित होकर 17 मीटर चौड़ाई में है। उक्त भूमि पर विकास कार्य कर आवेदक व उसके परिवार द्वारा कालौनी विकसित की जा रही है, इस हेतु आवेदक द्वारा उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु नानएग्रीकल्चर भूमि में परिवर्तन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गाडरबारा द्वारा आदेश दिनांक 13.08.2013 के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार आवेदक द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गाडरबारा द्वारा कॉलोनाईजर का लायसेंस दिनांक 23.05.2013 के अनुसार दिया गया है इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा टाउन एण्ड कन्टी प्लानिंग विभाग से दिनांक 14.06. 2013 के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, और समस्त अनुमतिया प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक द्वारा कालौनी का विकास कार्य उक्त भूमि पर प्रारंभ किया गया। कालोनी के विकास कार्य के दौरान तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदक को अतिक्रमण बावत् एक सूचना पत्र दिया गया। और आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गयी जो प्रकरण क्रमांक 16/अ–68/2013–14 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में बिना किसी सुनवाई व जॉच के आवेदक को कब्जा हटाने बावत् आदेश दिनांक 28.02.2015 को दिया गया। इसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी गाडरबारा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें आवेदक द्वारा बताया गया कि उन्होने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। नियमानुसार कालोनी निर्माण की अनुमति प्राप्त कर विकास किया जा रहा है। उक्त विकास कार्य किये जाने में किसी भी प्रकार से किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया कलेक्टर महोदय के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा स्वंय की भूमि पर विकास कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नहीं है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील मात्र उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2014 का हवाला देकर बिना किसी सुनवाई के ही निरस्त कर दी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर महोदय को जॉच कर अतिक्रमण हो तो उसे हटाने बावत् आदेश दिया गया है। न कि आवेदक की मालकी की भूमि पर किये जा रहे विकास कार्य को तोड़ने बावत् आदेश दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के यहॉ आवेदक ने अपील प्रस्तुत की थी। जो एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा दिनांक 02.12.15 को निरस्त की गयी। ओर आदेश ने यह माना कि इस न्यायालय को अपील सुनवाई का अधिकार नहीं है तथा इसका पुनर्विलोकन आवेदक द्वारा किया गया। जिसमें दिनांक 05.12.2015 को आदेश दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आवेदन पर दिये गये निर्णय के संबंध में मात्र यह निर्देश दिये जाते है। कि कलेक्टर के पूर्व प्रतिवेदन एवं वर्तमान सीमांकन में भिन्नता क्यों है इसकी जांच अनुविभगीय अधिकारी कर ले। इस प्रकार प्रकरण में पुनः जांच करके स्थगन आवेदन का

निराकरण करें इसी से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की और से उठाये गये तथ्यो पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। एडीश्नल कमिश्नर ने अपने आदेश में माना है, कि अंतरिम स्वरूप का आदेश होने से अपील ग्राह्य योग्य नही है तथा म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अनुसार ऐसे मामलों में राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है इस न्यायालय को पुनरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है इस आधार पर गुण दोषों पर विचार न करते हुये अपील आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने पर अपने आदेश के विपरीत कलेक्टर के पूर्व प्रतिवेदन और वर्तमान सीमांकन में भिन्नता क्यों है इसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी कर लें। इस प्रकार एडीशनल कमिश्नर का आदेश एक तरफ तो अंतरिम स्वरूप का आदेश माना है वहीं दूसरी तरफ पुनर्विलोकन में अनुविभागीय अधिकारी महोदय को जांच करने का आदेश दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण को समझने में वैधानिक त्रुटि की है। इस प्रकार एडीशनल कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को कलेक्टर के प्रतिवेदन की जांच करने का आदेश दिया है जो किसी भी दृष्टि में औचित्य पूर्ण और न्यायसंगत नहीं कहाँ जा सकता। कलेक्टर महोदय के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उसके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि में ही विकास कार्य किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नियमों एवं प्रावधानो के अन्तर्गत त्रुटि पूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने एवं स्वंय के विकास कार्य में कोई बाधा न डाले जाने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार संकारण आदेश पारित किया है, जिसे स्थिर रखा जाना आवश्यक है। अंत में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सन् 1986 आर.एन.1 सौदानसिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की याचिका के समान अधिकार प्राप्त हैं। राजस्व मण्डल,

विवादित आदेश ही नहीं वरन् अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार कर सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समस्त आदेशों पर विचार किया जा रहा है। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि तहसीलदार गाडरबारा द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2015 पारित किया है। उक्त आदेश पटवारी नं.93 न.ब.248 मौजा पतलोन के प्रतिवेदन पर प्रारम्भ हुआ है, जिसके बताया गया कि आवेदक द्वारा कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है। उक्त भूमि का सीमांकन कर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण बताया गया है, जिसके आधार पर फर्म को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया, जिसका जबाव एवं प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा बताया गया कि म0प्र0 भू–राजस्व संहित की धारा 248 के उपबंध इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते हैं। किन्तु विधिवत विचार किये बिना ही आपत्ति निरस्त कर दी गयी। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र पृथक से प्रस्तुत किया, जिस पर विचार किए बिना ही आवेदन निरस्त किया है। साथ ही साथ वादग्रस्त भूमिं की सीमांकन कर अतिक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन देने हेतु राजस्व निरीक्षक गाडरबारा के नेतृत्व में दल गठित कर, रिर्पोट बुलायी गयी। उक्त सीमांकन के संबंध में आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि भूमि का सीमांकन विधिवत नहीं किया गया है। किन्तु उक्त आपत्ति पर विचार किये बिना ही आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को निरस्त कर दिया गया। जबकि न्यायालय को उक्त आपत्ति/आवेदन पत्र पर सकारण आदेश पारित करना चाहिए था। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक गाडरबारा के कथनों पर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपने कथनों में उल्लेख किया है कि मुरम गिट्टी 0.004 हैक्टेयर पर डाली गयी थी। लोक निर्माण विभाग की पूरी रोड का सीमांकन नहीं किया गया। अस्थाई गेट का रकबा नहीं लिखा गया एवं स्वतः कहा कि अतिक्रमण का रकबा लिखा है। नाली के रकबे से पॉवर हाउस की भूमि लगी है। पॉवर हाउस की जमीन का माप नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में समस्त कार्यवाही की गयी है, जिसमें आवेदक फर्म को किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का परीक्षण और प्रतिपरीक्षण करने का कोई भी अवसर इस प्रकरण में नहीं दिया गया है, जोकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार गाडरबारा का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर, नरसिंहपुर द्वारा वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल को दिनांक 18.12.2014 को प्रेषित किया है जिससे स्पष्ट है कि शासकीय भूमि पर भूमिस्वामी का अतिक्रमण नहीं पाया गया। प्रतिवेदन के अनुसार खसरा नं.488/1 का अग्र भाग 17 मीटर है, जो मौके पर है। खसरा नं.488/1 के अग्र भाग के सामने नजूल भूमि की पट्टी नहीं आती। अपितु खसरा नं.488/1 का अग्र भाग खसरा नं.479 की 5 मीटर की घास भूमि से होते हुए

मुख्य सड़क से लगा है। खसरा नं.488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 488/6 में मुख्य सड़क से इन खसरा नम्बर की भूमियों पर जाने के संबंध मे प्रतिवेदित किया जाता है कि खसरा नं.488 के बटांक 488/1, 488/2, 488/3, 488/4, 488/6 के खातेदार मुख्य सड़क से अपनी भूमियों पर जाने हेतु खसरा नं. 488/1 के अग्र भाग (17 मीटर) के आगे खसरा नं.479 की 5 मीटर की घासभूमि से होते हुए अपने खेतों में जाने के लिए रास्ते के रूप में उपयोग रूढिगत रूप से वर्षो से करते रहे हैं, जिसके प्रमाण में दिनांक 16.11.2014 को स्थल निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों के कथन लिए गए एवं पंचनामा तैयार किया गया। उल्लेखनीय है कि खसरा नं.479 की घासभूमि की पट्टी का मुख्य सड़क से लगे होने के कारण आम रास्ते के रूप में सार्वजनिक रूप से उपयोग सीमावर्ती शासकीय भवन बी.टी.आई. स्कूल, तहसील कार्यालय कृषि विभाग कर रहे है। वस्तु स्थिति का उक्त प्रतिवेदन मान्य कर कार्यवाही की जानी चाहिए थी, किन्तु कलेक्टर से निम्न स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की जॉच करने का जो आदेश एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर द्वारा दिया गया है, वह स्पष्ट रूप से न्यायिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2015 एवं 02.12.2015 तथा अनुविभागीय अधिकारी, गाडरबारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 एवं तहसीलदार गाडरबारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2015 अपास्त किये जाते हैं।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर